

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.1(52)एमई/ग्रुप-1/83

जयपुर, दिनांक: 28/6/18

संशोधित आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश 15.06.2018 के द्वारा डॉ. अरुण कुमार को वरिष्ठ प्रदर्शक, कम्यूनिटी मेडिसिन (पी. एण्ड एस.एम.) के पद पर अस्थाई रूप से एक वर्ष के परीवीक्षाकाल पर मेडिकल कॉलेज, जोधपुर में नियुक्ति प्रदान की गई थी।


डॉ. अरुण कुमार को यह नियुक्ति एस.बी. सिविल रिट सख्या 13353/2013 डॉ. अरुण कुमार बनाम राज्य व अन्य, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.09.2014 की अनुपालना में प्रदान की गई है। माननीय न्यायालय द्वारा निम्न आदेश पारित किए गए –

"This writ petition is allowed and respondents are directed to provide appointment to the petitioner forthwith and grant him all consequential benefits from the date the medical certificate was submitted by the petitioner except backwages. The backwages shall be paid from the date of filling of this writ petition i.e. 26.10.2013."

अतः डॉ. अरुण कुमार की नियुक्ति के समसंख्यक आदेश दिनांक 15.06.2018 को उक्त पैराग्राफ को सम्मिलित करते हुए संशोधित कर पढ़ा जावे।

आदेश दिनांक 15.06.2018 का शेष विवरण यथावत रहेगा।

आदेश से,



(भगवत सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक प.7(60)भर्ती "ख"/2008-09/13 दिनांक 26.04.2018 के संदर्भ में।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, राज. जयपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।
6. सहायक विधि परामर्शी, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
7. ए.सी.पी., चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. संबंधित अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
9. रक्षित पत्रावली।



(महेश व्यास)

शासन सहायक सचिव